पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 59 / 2020
दायर दिनांक : 07.09.2020

अनवान

1. गोपाल पिता भुवाना धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. चान्दु पुत्री नाथू धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. छोटू पिता भैरू धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. पेमा पुत्री नाथू धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. प्रेम पुत्री नाथू धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. मगना पिता नाथू धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
7. मांगी पत्नि भूरा धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
8. राजू पिता भूरा धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
9. राधा पुत्री नाथू धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
10. शंकर पिता भूरा धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
11. श्यामलाल पिता भूरा धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
12. प्रताप पिता हजारी धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
13. पोखर पिता हजारी धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
14. अनोप पुत्री हजारी धाकड़ निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. उदा पिता नाराण गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. प्यारे लाल पिता छोटू गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. ब्रम्हा पिता छोटू गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. सांवरा पिता छोटू गुर्जर नाबालिग जरिये प्रेम पत्नि छोटू निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. प्रेम पत्नि छोटू गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. लादी पुत्री छोटू पत्नि कालू गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
7. पानी पुत्री छोटू पत्नि बाबूलाल गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
8. जेती पुत्री नारायण पत्नि नन्दा गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
9. नाथू पिता लखा गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
10. शंकर पिता लखा गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
11. हीरा पुत्री नाराण पत्नि बालु गुर्जर निवासी हरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।
13. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा माण्डलगढ़।
14. शाखा प्रबन्धक बैंक आफॅ बड़ोदा शाखा माण्डलगढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय कुमार खटीक (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री कैलाश तम्बोली (अधिवक्ता [illegible])

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस[illegible]कारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:18 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 01.[illegible]

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्र[illegible] है कि प्रार्थीगण द्वारा
अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरपुरा पटवार हल्का धामणिया में स्थित भूमि आराजी
संख्या 47 भमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण आने जाने व टेक्ट्रर व संजबेल लाते ले
जाने के लिए 15 फीट चोड़ा रास्ता है। जो ग्राम हरपुरा से निकलकर आगे आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

से होता हुआ आराजी नम्बर 48 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे पश्चिम में जाते हुये प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 47 की पूर्वी मेड़ पर पहुँचता है। दिनांक 20.08.2020 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उक्त रास्ते पर आने जाने से मना कर दिया। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के अभाव में अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 42 व 47 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 51 व 48 पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

दिनांक 16.09.2020 को वकील प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता कैलाश चन्द्र तम्बोली ने अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 25.09.2020 को विपक्षी संख्या 1,2,5,9,10 की ओर से जवाब प्रार्थनपत्र पेश किया गया और शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण का रास्ता हरपुरा से निकलता हुआ आराजी नम्बर 37 जो प्रार्थीगण की भूमि है। उसमें सार्वजनिक रास्ता है जो प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 359/40 में प्रवेश करता है जो आराजी नम्बर 40,41,42,47 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण वर्षो से करते चले आ रहे है। जबकि उक्त आराजियात में मौके पर रास्ता नही है। प्रार्थीगण जानबूझकर विपक्षीगण की खातेदारी भूमि से जबरन रास्ता लेना चाह रहे है। व विपक्षीगण को प्रार्थीगण जलिल एवं परेशान करने की बदनियत से उक्त झूठा रास्ते का प्रार्थनापत्र. पेश किया है।जो खारीज योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

दिनांक 16.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2862 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम हरपुरा पटवार हल्का धामनिया की आराजी संख्या 42 व 47 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 51 व 48 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए वर्तमान में कोई समस्या नही होना बताते हुये रास्ता चाहने से मना कर दिया। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीगणो द्वारा रास्ता चाहने से मना करने से रास्ते हेतु प्रस्ताव तैयार नही किया गया।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम हरपुरा पटवार हल्का धामनिया तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 42 व 47 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 51 व 48 में से रास्ते हेतु मांग की है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी पर पहुँचने के लिए वर्तमान में रास्ते हेतु कोई समस्या नही होना बताते हुये रास्ता चाहने से मना कर दिया है। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीगणो द्वारा रास्ता चाहने से मना करने से रास्ते हेतु प्रस्ताव तैयार नही किया गया। पक्षकारान् को वैकल्पिक रास्ता [illegible] द्वारा रास्ता चाहने से मना करने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज [illegible] है।

आदेश आज दिनांक 01.01.2021 द्वारा [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:18 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

Scanned with CamScanner